

वार्षिक रिपोर्ट  
ANNUAL REPORT  
2018-19

₹10 लाख करोड़  
के पार  
वैश्विक कारोबार

Global Business  
Crosses  
₹10 Lakh Crore

कल के  
संपर्क में!  
In touch with  
tomorrow!

केनरा बैंक  
भारत सरकार का उपक्रम



Canara Bank

A Government of India Undertaking

Together We Can

# निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री टी.एन. मनोहरन  
अध्यक्ष  
Shri T.N. MANOHARAN  
CHAIRMAN



श्री आर.ए. शंकर नारायणन  
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (15.04.2019 से)  
Shri R.A. SANKARA NARAYANAN  
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (from 15.04.2019)



श्री एम.वी. राव  
कार्यपालक निदेशक  
Shri M.V. RAO  
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री देवाशीष मुखर्जी  
कार्यपालक निदेशक  
Shri DEBASHISH MUKHERJEE  
EXECUTIVE DIRECTOR



सुश्री ए. मणिमेखलई  
कार्यपालक निदेशक (11.02.2019 से)  
Ms. A. MANIMEKHALAI  
EXECUTIVE DIRECTOR (from 11.02.2019)



श्री सुचीन्द्र मिश्रा  
प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार  
Shri SUCHINDRA MISRA  
DIRECTOR REPRESENTING  
GOVERNMENT OF INDIA



श्री आर. केशवन  
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक (26.04.2019 से)  
Shri R. KESAVAN  
DIRECTOR REPRESENTING  
RESERVE BANK OF INDIA (from 26.04.2019)



श्री कृष्णमूर्ति एच.  
शेयरधारक निदेशक  
Shri KRISHNAMURTHY H.  
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर  
शेयरधारक निदेशक  
Shri VENKATACHALAM  
RAMAKRISHNA IYER  
SHAREHOLDER DIRECTOR

## निदेशक जो अवधि के दौरान कार्यालय से मुक्त हुए Directors Demitted Office during the period



श्री रकेश शर्मा  
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31.07.2018 को)  
Shri RAKESH SHARMA  
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
(on 31.07.2018)



श्रीमती पी. वी. भारती  
कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 को)  
Smt P. V. BHARATHI  
EXECUTIVE DIRECTOR (on 31.01.2019)



श्रीमती उमा शंकर  
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक (26.04.2019 को)  
Smt UMA SHANKAR  
DIRECTOR REPRESENTING  
RESERVE BANK OF INDIA (on 26.04.2019)





वार्षिक रिपोर्ट  
2018-2019  
ANNUAL REPORT



## वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019

### विषयवस्तु

1. नोटिस	3
2. प्रगति की झलक	42
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2018-2019	43
• प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण	44
• केनरा बैंक वर्ष 2018-2019 में	51
• निदेशक मंडल में परिवर्तन	103
• निदेशकों के दायित्व वक्तव्य	105
• सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	107
4. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	113
5. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	141
• निदेशकों की गैर - अयोग्यता का प्रमाण पत्र	171
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	174
7. एकल वित्तीय विवरण	
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	177
• असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	188
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8)	189
• तुलन पत्र	191
• लाभ व हानि खाता	192
• तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	193
• लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	201
• लेखांकन नीतियाँ	203
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	214
• स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन	276
• नकद प्रवाह विवरण	278
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	282
• असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	293
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8)	294
• समेकित तुलन पत्र	296
• समेकित लाभ व हानि खाता	297
• समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	298
• समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ	305
• लेखांकन नीतियाँ	307
• समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	321
• समेकित नकद प्रवाह विवरण	334
9. नामांकन पत्र	336
10. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास	348
11. प्रॉक्सी फार्म	350

## ANNUAL REPORT 2018-2019

### CONTENTS

1. NOTICE	3
2. PROGRESS AT A GLANCE	42
3. DIRECTORS' REPORT 2018-2019	43
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	44
• CANARA BANK IN 2018-2019	51
• CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS	103
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	105
• SECRETARIAL AUDIT REPORT	107
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT	113
5. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE	141
• CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS	172
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	174
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	177
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	188
• CEO/CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	189
• BALANCE SHEET	191
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	192
• SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET	193
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	201
• ACCOUNTING POLICIES	203
• NOTES ON ACCOUNTS	214
• PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES	277
• CASH FLOW STATEMENT	278
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• AUDITORS' REPORT	282
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	293
• CEO/CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	294
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	296
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	297
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	298
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	305
• ACCOUNTING POLICIES	307
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	322
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	334
9. NOMINATION FORM	337
10. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	349
11. PROXY FORM	351



## नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक, बुधवार, 25 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.30 बजे ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. यथा 31 मार्च, 2019 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, समापन वर्ष 31 मार्च, 2019 हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखा पर लेखा व ऑडिटर के रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्यवाही व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना ।
2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो संशोधन सहित या संशोधन रहित, निम्न विशेष संकल्पों को पारित करना :

**"संकल्प लिया जाता है कि "**बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आर बी आई"), भारत सरकार ("जी ओ आई"), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) / दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबंधित प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद **"निदेशक मंडल"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की

## NOTICE

Notice is hereby given that the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Thursday, the 25<sup>th</sup> July, 2019 at 10.30 A.M. at Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bengaluru - 560 001, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31<sup>st</sup> March 2019, Profit & Loss account for the year ended 31<sup>st</sup> March 2019, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To consider and if thought fit, to pass the following special resolution:

**"RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications / circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers



गयी या आगे की जाने वाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से फर्म को आवंटन / प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान श्रेणियों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / अन्य अनुमत प्रतिभूतियां जो ईक्विटी में परिवर्तित होने में सक्षम हैं या नहीं, **कुल राशि ₹6000 करोड़ से अधिक नहीं है (केवल छ हजार करोड़ रुपए)**, ऐसे प्रीमियम को सम्मिलित करना, जो ईक्विटी श्रेणियों पर ऐसे समय या समय पर तय किए जा सकते हैं, जैसे कि कीमत या कीमतों में, छूट पर या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता पूंजी 52% से कम नहीं होगी, जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों ("क्यू आई बी") जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई") या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी श्रेणियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बढ़ा या प्रीमियम सहित होगी।"

**"आगे संकल्प लिया जाता है कि** ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2018

including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, **for an aggregate amount not exceeding ₹6000 Crore (Rupees Six Thousand Crore only)**, inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the members, employees of the Bank by way of ESPS, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations / guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

**"RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018



“आई सी डी आर विनियमावली”) एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।”

“आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रूप से “समुचित प्राधिकारी” कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और या / मंजूरी के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोड़कर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनियम योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस

“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and / or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VI of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP),



तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 52% से कम धारित न करता हो।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अनुसरण में**

- क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा या समय-समय पर आईसीडीआर विनियमों के तहत अनुमति दी जा सकती है।
- ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- ग) आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित

as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”.

**“RESOLVED FURTHER THAT** in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and / or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared,



सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर / प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी है, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलों और चीजों और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, जमाकर्ताओं, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के ईक्विटी / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आवंटित किये जाने वाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि/प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर / अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों

if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue / conversion of Securities / exercise of warrants / redemption of Securities, rate of interest, redemption



के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किश्त या बट्टा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों / प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटारा किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन मांगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा।”

**“आगे संकल्प लिया जाता है कि** निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक / कों या निदेशकों की समिति या ऐसे अन्य अधिकारी/(रियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।”

3. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्राहण व अंतरण) अधिनियम 1970 (इसे आगे "अधिनियम" कहा गया) की धारा 9(3) (i) के साथ पठित बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक [प्रबंधन और विविध प्रावधान] योजना, 1970 (इसे आगे "योजना" कहा गया) और केनरा बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2000 (इसे आगे "विनियम" कहा गया) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना-डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08, दिनांक 01 नवम्बर 2007, डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई,

period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue / conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

**“RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

3. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks {Management & Miscellaneous Provisions} Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000(hereinafter referred to as the “Regulations”) and Notifications No. DBOD.No. BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1<sup>st</sup> November, 2007